

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है।

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 93 दिनांक 16/05/2019
 प्रार्थी श्रीमती विद्या देवी श्रीमती शिरालाल उर्फ श्रीमती उमेश श्रीमती संजय कुमार
 ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 पत्नी / पुत्र श्रीमती जगदीश नारायण
 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय पता - जी. 56022 डी. कोलोनी, राजपुर
 भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश पता -
 कर स्वनिर्धारण रॉशर रुपये 31220/- जमा की
 जरिये रसीद संख्या 1005/2382, 2383
 दिनांक 16/05/2019 को जमा करा दी है।

हरिहर
 प्रारूपकार
 नगर निगम, जोधपुर

नकशा प्राप्त किया

Vinay Dabhi